

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/28/2015-अ.भा.से.-I

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 9 अक्टूबर, 2021

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा और बिहार राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, नीति में छूट देते हुए श्री अभिषेक सिंह, आईएएस (त्रिपुरा: 2006) को अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष और छः महीने पूरा करने के पश्चात् दिनांक 10.10.2021 से आगे छः महीने की अवधि हेतु त्रिपुरा संवर्ग से बिहार संवर्ग में उनकी अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में विस्तार हेतु एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मिन्टो रोड,  
नई दिल्ली-110002.